राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

क्र. 420 / मि.सं. / रा.स्व.भा.मि. / पं.ग्रा.वि.वि. / 2019, रायपुर, दिनांक 22 /07/2019

प्रति,

1. कलेक्टर सह अध्यक्ष,
   प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
   जिला समस्त।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह सदस्य सचिव,
   प्रबंधन समिति, जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
   जिला समस्त।

विषयः— स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जिला समन्वयक/सलाहकार के क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहन व्यवस्था बावत्।

—00—

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वच्छता हेतु जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण स्तर पर जागरूकता फैलाने एवं व्यवहार परिवर्तन गतिविधियों के क्रियान्वयन, सतत् निरीक्षण आदि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के समन्वयक/सलाहकारों द्वारा किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मार्गदर्शिका अनुसार उक्त कार्य हेतु आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लिया जा सकता है। वाहन किराया स्वचछ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रशासनिक मद अथवा प्रचार–प्रसार मद में भारित किया जा सकता है।

2/ विदित हो कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश का परिपालन समय–सीमा में किया जाना है। जिसमें मॉडल गांवों को विकसित करना एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य सभी ग्राम पंचायतों में समय–सीमा में किया जाना है। इसके अतिरिक्त ओ.डी.एफ. स्थायित्व गतिविधियों का आयोजन भी ग्रामीण क्षेत्र में किया जाना है। यदि वाहन व्यवस्था समन्वयक/सलाहकार को उपलब्ध करायी जाती है तो उक्त उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकेगी।

अतः 01 वाहन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से जिला स्तर पर किराये पर लिया जा सकता है। जिला समन्वयक/सलाहकार/विकासखण्ड समन्वयक को प्रतिदिन क्षेत्र भ्रमण (अधिकतम 15 दिवस) में भेजा जा सकता है, जिससे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को गति प्रदान की जा सकती है।

22/7/2019

(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned by CamScanner